रजिस्ट्री सं. डी.--(डी. एन.)--73

REGISTERED NO. D--(DN)--73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सचिवालय ग्रन्थालय SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA 12/11/87

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 11, 1986 (आश्विन 19, 1908)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 11, 1986 (ASVINA 19, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	695
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1131
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	1485
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	23751
भाग III--खण्ड 2--पैटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	641
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	--
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	1869
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . .	145
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	695
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1131
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1485
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	23751
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	641
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1869
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	145
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 1986

सं० 76 प्रेज/86—राष्ट्रपति त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रदीप चक्रवर्ती
हैड कास्सटेबल
त्रिपुरा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 अप्रैल, 1985 को हैडकान्सटेबल प्रदीप चक्रवर्ती को सूचना मिली कि टी० एन० वी० उग्रवादियों (संख्या में लगभग 10–12) का गिरोह बेमदुन क्षेत्र से बलपूर्वक धन इकट्ठा कर रहा है । श्री चक्रवर्ती, ने गिरोह को रोकने के लिए बल तैनात करने हेतु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कन्चनबारी स्थित निकटतम चौकी को तुरन्त यह सूचना भेजी । इसी दौरान, श्री चक्रवर्ती ने, सादे कपड़ों में, कुछ सशक्त ग्रामवासियों को इकट्ठा किया तथा तुरन्त बेमदुन गये । वहां पहुंचने पर उन्होंने मालूम हुआ कि मुख्य गिरोह नजवीकी गांव में चला गया है तथा रविचरण देव वर्मा नामक केवल एक विद्रोही ग्रामवासियों से बलपूर्वक धन इकट्ठा कर रहा है । उन्होंने ग्रामवासियों को प्रवृत्त किया और घर को घेर लिया । घेरे जाने पर उपद्रवी ने "तक्कल" नामक तेजधार वाले शस्त्र से श्री चक्रवर्ती पर आक्रमण करने के तीन प्रयास किये जिससे उनको मामूली चोटें आई । फिर भी उन्होंने अपना बचाव कर लिया और अपने सर्विस रिवाल्वर से चार राउन्ड गोलियां चलाई तथा विद्रोही को भागने नही दिया । श्री चक्रवर्ती ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तेजधार का हथियार भी जब्त कर लिया ।

इस घटना में, श्री प्रदीप चक्रवर्ती, हैडकान्सटेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति, का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गजत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 अप्रैल, 1985 से दिया जाएगा ।

सं० 77 प्रेज/86—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री के० एस० विष्ट,
पुलिस उप अधीक्षक,
(कम्पनी कमाण्डर), आई० आर० एल० ए०, सं० 1999),
द्वितीय बटालियन, के० रि० पु० बल,
(केम्प नरसिंह गढ़ त्रिपुरा) ।

श्री धर्मवीर सिंह,
कांस्टेबल सं० 801170648,
द्वितीय बटालियन, के० रि० पु० बल,
(केम्प नरसिंह गढ़—त्रिपुरा) ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए यह पदक प्रदान किया गया

14 फरवरी, 1985 को श्री के० एस० विष्ट, पुलिस उप अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई, कि टी० एन० वी० उग्रवादियों का एक गिरोह जिसकी संख्या लगभग 12–14 है बरकाथाल ग्रामवासियो से जबरदस्ती धन ऐंठ रहा है और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के केम्प पर धावा बोलने की भी योजना बना रहा है । श्री विष्ट तत्काल, एक प्लाटून, के साथ निर्धारित स्थान की ओर रवाना हुए तथा बच निकलने के रास्तों पर घात लगाई तत्पश्चात, वे एक हैड कांस्टेबल, एक नायक और दो कांस्टेबलों के दल (कांस्टेबल धर्मवीर सिंह सहित) के साथ उग्रवादियों की तलाश में संदिग्ध मकानों के मुख्य अहाते में गये और अहाते के मुख्य द्वार पर कांस्टेबल धर्मवीर सिंह को तैनात कर दिया । अचानक उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चला दी । उग्रवादियों ने उन पर अंधेरे मे स्वचालित/अर्धस्वचालित शस्त्रों से गोलियां चलाई । इसी दौरान श्री धर्मवीर सिंह ने कुछ उग्रवादियों को भागते हुए देखकर श्री विष्ट को सचेत किया और उग्रवादियों पर गोलियां चलाई । श्री विष्ट और श्री धर्मवीर सिंह रेंगते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़े और उन्हें एक भरी हुई .303 राइफल तथा गोला बारूद के साथ टी० एन० वी० के उग्रवादी की एक लाश मिली । निरन्तर गोलीबारी और खतरा होने के बावजूद श्री विष्ट ढीले नही पड़े और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करते रहे । मृत उग्रवादी की बाद में ग्राम ककराचेटा के राम मणिक मलसूम के रूप में शिनाख्त की गई । मुठभेड़ के दौरान दो और उग्रवादी गोलियां लगने से घायल हो गए ।

2. इस मुठभेड़ में श्री के० एस० विष्ट, उप-अधीक्षक, पुलिस और श्री धर्मवीर सिंह, कान्सटेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 फरवरी, 1985 से दिया जाएगा ।

सं० 78-प्रेज/86—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति, का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री दयाराम (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल, सं. 751290011,
37वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ।

श्री शिवराम,
कांस्टेबल सं० 720540052,
37वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 अप्रैल, 1985 को स्थानीय पुलिस के एक जप-निरीक्षक के नेतृत्व में, 1 हैडकांस्टेबल, 2 नायक, 1 लांसनायक और 10 कांस्टेबलों के दो दलों को उग्रवादियों के सशस्त्र टी० एन० वी० गिरोह के विरुद्ध जिनके बारे में बताया

गया था कि वे सार्डकर क्षेत्र में सक्रिय हैं, सैनिक कार्रवाई करने के लिए तैनात किया गया। दल एक वाहन में गया और एक मोड़ पर जाते हुए, उग्रवादियों ने जो घात लगाए हुए थे उन पर भारी गोलाबारी की। उग्रवादियों द्वारा की गयी गोलाबारी इतनी तेज थी कि एक उप-निरीक्षक और स्थानीय पुलिस का एक हैड कांस्टेबल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की ए/37 बटालियन के 4 कांस्टेबल वाहन में ही मारे गये। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शेष कार्मिकों ने वाहन में ही मोर्चा संभाला। कांस्टेबल दयाराम और शिवराम वाहन से बाहर कूद गये। ऐसा करते हुए भी दयाराम को दाहिने हाथ में, कंधे के नजदीक गोली लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गये। कांस्टेबल शिवराम के पेट में भी उग्रवादियों द्वारा चलायी गयी गोली लगी और उनकी आंतें बाहर आ गयीं। जख्मों के बावजूद वे रेंग कर सड़क की दाहिनी ओर गए और टूटे-फूटे एक ग्राउन्ड में मोर्चा संभाला और उग्रवादियों की गोलियों को बे-असर करने लगे। अपने सहयोगियों की सहायता से वे उग्रवादियों को हतोत्साहित करने में सफल हो गये, जो भागने के रास्ते से पीछे हटने पर मजबूर हो गये थे। घात को असफल बनाने के बाद कांस्टेबल दयाराम को अस्पताल ले जाया गया जहां घायल होने के कारण उनका देहान्त हो गया।

इस मुठभेड़ में श्री दया राम, कांस्टेबल और श्री शिव राम, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति, का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अप्रैल, 1985 से दिया जाएगा।

सं० 79प्रेज/86—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद .

श्री श्रीनाथ सिंह,
नायक सं० 670231763,
37वीं बटालियन,
के० रि० पु० बल।

श्री चन्द्र पाल,
कांस्टेबल, सं० 821290737,
37वीं बटालियन,
के० रि० पु० बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 अप्रैल, 1985 को स्थानीय पुलिस के एक उप-निरीक्षक के नेतृत्व में दो दलों को जिनमें एक हैड कांस्टेबल, 2 नायक, लांसनायक तथा 10 कांस्टेबल थे, टी० एन० वी० भगरूत उग्रवादियों के गिरोह जिनके बारे में सूचना थी कि वह सीकर क्षेत्र में घूम रहा है, के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तैनात किया गया था। दल एक वाहन में रवाना हुआ और एक मोड़ पर मुड़ते हुए उस पर उग्रवादियों ने जो घात लगाकर बैठे थे, भारी गोली बारी की। उग्रवादियों ने इतनी भारी गोलीबारी की कि स्थानीय पुलिस के एक उप-निरीक्षक तथा एक हैड कांस्टेबल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की ए/37वीं बटालियन के चार कांस्टेबलों की वाहन में ही मृत्यु हो गई। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शेष कार्मिकों ने वाहन के भीतर मोर्चा संभाला। दो कांस्टेबल दया राम तथा शिव राम वाहन से बाहर कूदे और ऐसा करने में वे गोलियों से जख्मी हो गये। वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। नायक श्रीनाथ सिंह ने, कैदी वाहन में लगी जाली में से वाहन के फर्श पर मोर्चा संभाल कर अपनी एम० एल० आर० गन से गोली चलानी शुरू की। नायक श्रीनाथ सिंह द्वारा गोलियों का गोलों से जवाब देने के बाद, उग्रवादियों ने कुछ देर के लिए गोली चलाना बन्द कर दिया और अपने मोर्चे बदल लिए। वह तुरन्त उठे तथा वाहन से बाहर आये तथा 2" मोर्टार बम के साथ पहाड़ी पर चढ़े तथा उग्रवादियों पर बम फेंके परन्तु कुछ उग्रवादियों ने उन्हें देख लिया तथा उन पर गोलियां चलायीं। उनके बाएं हाथ पर गोली लगने से वे जख्मी हो गए। कांस्टेबल चन्द्रपाल की दाहिने हाथ की उंगलियां उग्रवादियों की गोलियों की पहली बौछार से टूट गयी परन्तु वे तब तक बायें हाथ से गोली चलाते रहे जब तक उग्रवादी भाग न गए।

इस मुठभेड़ में श्री श्रीनाथ सिंह, नायक तथा श्री चन्द्रपाल, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अप्रैल, 1985 से दिया जाएगा।

के० पी० सिंह, राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली—110003, दिनांक 15 सितम्बर, 1986

संकल्प

सं० 1/20017/1/85 रा० भा० (क—1)—राजभाषा विभाग के 27—6—85 के संकल्प सं० 1/20017/1/85 रा० भा० (क—1) के अधीन पुनर्गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति में स्वर्गीय सर्वश्री श्रीकान्त वर्मा तथा बी० वी० देसाई, सदस्यों की जगह पर सर्वश्री एन० तोम्बी सिंह और वी० तुलसी-राम, संसद सदस्यों को समिति के सदस्य के रूप में भारत सरकार सहर्ष नियुक्त करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कुसुम लता मित्तल, सचिव

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 1986

संकल्प

संदर्भ सं० 4 (4)/86—भारत सरकार ने रिफेक्टरी उद्योग के लिए विकास पैनल का पुनर्गठन, भारत के राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्न प्रकार से करने का निर्णय किया है।

1. श्री एन० बिस्वास, — अध्यक्ष
महा उप निदेशक,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली।

2. डा० एस० ए० घोष, — सदस्य
मै० सुन्दर कन्सलटेंट,
ई—46, सेक्टर 1,
साल्ट लेक सिटी,
कलकत्ता—700064।

3. श्री बी० वी० अप्पा राव, — सदस्य
महाप्रबन्धक,
मै० भारत रिफेक्टरी लिमिटेड,
भिलाई रिफेक्टरी प्लांट,
मरोदा पो० ओ० नवाई—491002।

4. श्री बी० रामचन्द्रण, सदस्य
मै० मैटराल्यूजिकल इंजीनियरिंग
कन्सलटेंट (भारत) लि०,
रांची—834002 ।

5. डा० ए० के० चटर्जी, सदस्य
आर० एण्ड डी० प्रभाग के अध्यक्ष
मै० एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०,
सीमेंट हाउस, 121, महर्षि कर्वे रोड,
बम्बई—400020 ।

6. श्री डी० रामकृष्णन, सदस्य
मै० कारबोरेंडम यूनीवर्सल लि० ।
11/12, नार्थ बीच रोड, मद्रास ।

7. श्री एस० एच० डालमिया, सदस्य
मै० उड़ीसा सीमेंट लि०,
4, सिंधी हाउस, नई दिल्ली—110001

8. श्री के० पी० झुनझुनवाला, सदस्य
मै० उड़ीसा इण्डस्ट्रीज लि०,
उदित नगर, राउरकेला—769012 ।

9. डा० ए० के० बोस, सदस्य
मै० बेलपहाड़ रिफ्रेक्टरी लि०,
पी० ओ० बलपहाड़—768218
जिला : सम्भलपुर, उड़ीसा ।

10. श्री एस० सी० राजगढ़िया, सदस्य
निदेशक,
मै० ओरिएण्ट मिनरल लि०,
1011 अंसल भवन,
16-कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली—110001

11. डा० जी० बैनर्जी सदस्य
रिफ्रेक्टरी के अध्यक्ष,
सेण्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च
इन्स्टीच्यूट, पी० ओ० जादवपुर यूनिवर्सिटी,
कलकत्ता ।

12. श्री आर० डी० नायक, सदस्य
मिनरल इक्नोमिस्ट के अधीक्षक
भारतीय खनिज ब्यूरो,
नया सचिवालय भवन,
नागपुर—440001 ।

13. औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिनिधि सदस्य
(सी० जी० एफ० अनुभाग)

14. श्री एस० के० चक्रवर्ती, सदस्य
निदेशक, डी० सी० (एस० एस० आई०),
निर्माण भवन, नई दिल्ली ।

15. श्री ओ० पी० गंभीर सदस्य
प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर (रिफ्रेक्टरी),
स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि०,
रिसर्च एण्ड डवलपमेंट सेण्टर फार
आयरन एण्ड स्टील,
पी० ओ० हिनो डुरेण्डा,
रांची—834002

16. डा० जी० एन० मोहन्ते, सदस्य
मुख्य विशेषज्ञ,
स्टील अथारिटी आफ इंडिया,
इस्पात भवन, लोदी रोड,
नई दिल्ली—110003

17. श्री एन० सी० मुखर्जी, सदस्य
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
भारत रिफ्रेक्टरी लि०,
पो० बा० नं० 1
बोकारो स्टील सिटी—827001 ।

18. श्री एन० आर० सरकार,
महाप्रबन्धक (तकनीकी),
भारत रिफ्रेक्टरी लि० पो० बा० सं०—1
बोकारो स्टील सिटी—827001 ।

19. श्री पी० के० टिकू, सदस्य
निदेशक (ओपरेशन),
सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया,
शकुन्तला, एपार्टमेंट,
59, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली—110019 ।

20. श्री एस० रे, सदस्य
अध्यक्ष,
इंडियन रेफ्रेक्टरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन,
रोयल एक्सचेंज,
6, नेता जी सुभाष रोड,
कलकत्ता—700001

21. श्री एस० टी० पी० सिन्हा, सदस्य-सचिव
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली—110011 ।

विचारणीय विषय :

(1) रिफ्रेक्टरी उद्योग के विकास की विद्यमान स्तर पर विचार करने तथा इसकी तेजी से वृद्धि के लिए उपायों की सिफारिश करना ।
(2) रिफ्रेक्टरी की विभिन्न मदों की राज्य-वार/क्षेत्र-वार आवश्यकता का अध्ययन करना तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आगे क्षमताओं के निवेश के लिए सुझाव देना ।
(3) प्रौद्योगिकीय तथा उत्पादों की किस्म का दर्जा ऊंचा करने सहित भविष्य की प्रौद्योगिकीय सम्बन्धी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना ।
(4) विभिन्न संस्थानों में इस क्षेत्र में उपलब्ध अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाना ।
(5) प्राप्त मानकीकरण की मात्रा की जांच करना तथा भारतीय मानकीकरण संस्थान के साथ परामर्श करके और आगे मानकीकरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करना ।
(6) स्वदेशी तथा आयातित दोनों मशीनरी आदि की आवश्यकताओं पर विचार करना ।
(7) कच्चे माल तथा ऊर्जा आदानों, उनके संरक्षण/प्रतिस्थापन सहित की आवश्यकताओं पर विचार करना ।
(8) विद्यमान एककों का आधुनिकीकरण ।
(9) आयात प्रतिस्थापन/निर्यात संवर्द्धन ।
(10) तकनीकी जन-शक्ति तथा उनका प्रशिक्षण ।
(11) अन्य कोई संगत मामला ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० सी० गंजवाल, निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1986

संकल्प

सं० एन-11013/21/85-सी० डब्ल्यू एस०—इस समय देश में श्रम सहकारी समितियों सहित लगभग 28,808 श्रम सहकारी समितियां हैं जिनके सदस्यों की संख्या करीब 11 लाख है। 1983-84 के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्य अनुमानतः 205 करोड़ रुपए है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, अदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने और उनका सम्वर्धन करने, ऐसी सहकारी समितियों का विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ करने की काफी सम्भावना है, और आदिवासियों और श्रमिकों के लिए सहकारी समितियों के कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए उपयुक्त नीतियां वित्तीय और प्रशासनिक उपाय तैयार किए जाने हैं। अतः भारत सरकार ने दो वर्षों की अवधि के लिए श्रम सहकारी समितियों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदायी परिषद् गठित करने का निर्णय किया है। परिषद की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

अध्यक्ष :

1. केन्द्रीय कृषि मंत्री।

उपाध्यक्ष :

2. केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री।

सदस्य :

3. सहकारिता मंत्री, गुजरात।
4. वन मंत्री, मध्य प्रदेश,
5. वन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
6. श्रम मंत्री, बिहार।
7. सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री, केरल।
8. श्रम मंत्री, तमिलनाडु।
9. प्रभारी सहकारिता मंत्री, उड़ीसा।
10. अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रम सेहकारी संघ नई दिल्ली।
11. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य श्रम सहकारी संघ चण्डीगढ़।
12. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य का वन सहकारी संघ डिगरेंस पोस्ट यवतमाल जिला (महाराष्ट्र)
13. अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली।
14. अध्यक्ष, रेल श्रम कत्रार सहकारी समिति लि०, 14 कोचारिन बेसिन रोड, बेसिन ब्रिज, मद्रास-600021
15. सलाहकार (कृषि और ग्रामीण विकास), योजना आयोग
16. सलाहकार (औद्योगिक सम्पर्क) रेलवे बोर्ड।
17. वन महानिरीक्षक, वन एवं वन्य जीव विभाग।
18. निर्माण कार्य महानिदेशक, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, शहरी विकास मंत्रालय
19. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
20. सचिव, जहाजरानी एवं परिवहन विभाग।
21. सचिव, श्रम मंत्रालय
22. अपर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग।
23. संयुक्त सचिव, आदिवासी विकास, समाज कल्याण विभाग।
24. सचिव, श्रम, कर्नाटक सरकार
25. सचिव, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, पंजाब सरकार।
26. सचिव, सहकारिता, पश्चिम बंगाल।
27. सचिव, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, राजस्थान।
28. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।
29. सचिव उत्तरी पूर्वी परिषद्, शिलांग।
30. प्रबन्ध निदेशक, गिरीजन, सहकारी विकास निगम, विशाखा। पतनम, आन्ध्र प्रदेश।

सदस्य सचिव :

31. मुख्य निदेशक (सहकारिता), कृषि और सहकारिता विभाग

2. परिषद के विचारार्थ विषय ये हैं :—

(1) श्रम सहकारी समितियों की प्रगति की समीक्षा करना।

(2) कार्यक्रम में श्रमिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाना और इस संबंध में उनमें पहल और नेतृत्व की भावना उजागर करना;

(3) सहकारी समितियों के पक्ष में कार्य प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा कुशल और अकुशल श्रमिकों के आरक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाना;

(4) श्रम सहकारी समितियों की नीति, प्रशासन, वित्तीय और तकनीकी सहायता के संबंध में सलाह देना;

(5) श्रम सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करने के सम्बन्ध में सलाह देना और इन सहकारी समितियों के सदस्यों के कौशल का विकास करने की व्यवस्था करना;

(6) ऐसे अन्य उपायों के बारे में सलाह देना जो परिषद के विचारार्थ विषयों से सम्बद्ध हों।

3. परिषद, जब कभी आवश्यक समझे, श्रम सहकारी समितियों के कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए समितियों की नियुक्ति कर सकती है। ऐसी समितियां किसी विशेष प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है जिन्हें सम्बद्ध समस्याओं का विशेष ज्ञान हो अथवा उपयुक्त क्षेत्रीय संबंधी अनुभव हो।

4. सरकारी प्रतिनिधियों और विभिन्न सहकारी हित का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों को कोई यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता (टीए/डीए) नहीं दिया जायेगा। जिस संगठन का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, वही यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता आदि के खर्चों को वहन करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो किसी संगठन का प्रतिनिधित्व नही करते हैं, और जिन्हें परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए अनुरोध किया है उनके मामले में भारत सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों के लिए स्वीकार्य यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता (टीए/डीए) दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० एन० अर्धनारीश्वरन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 1986

संकल्प

सं० 1-29/86-एम० वाई० (प्रशा०)—जबकि इस विभाग के संकल्प संख्या 1-18/85-एम० वाई० (प्रशा०) दिनांक 21-6-85 के तहत फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन किया गया था।

और जबकि वित्तीय सलाहकार को भी उक्त प्रबन्ध समिति का एक सदस्य बनाया गया था।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि तत्काल से वित्तीय सलाहकार के स्थान पर निदेशक (आन्तरिक वित्त) सदस्य के रूप में उक्त प्रबन्ध समिति के लिए वित्त प्रभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, राष्ट्रपति का सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को भेजी जाये ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० के० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1986

सं० एफ० 10-3/86-यू०-5—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की नियमावली और संस्था ज्ञापन के नियम 3 और 6 के अन्तर्गत प्रो० वी० एस० डीसूजा, राष्ट्रीय फैलो, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 1989 तक की अवधि के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है ।

एस० के० सेनगुप्त, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 1st October 1986

No. 76-Press/86.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Tripura Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Pradip Chakraborty,
Head Constable,
Tripura.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 23rd April, 1985, Head Constable Pradip Chakraborty received information that a gang of TNV extremists (numbering about 10–12) was forcibly collecting funds from Demdum area. Shri Chakraborty immediately fed this information to the nearest Central Reserve Police Force post at Kanchanbari for detailment of force to intercept the gang. In the meanwhile Shri Chakraborty, in civilian clothes, collected some able-bodied villagers and rushed to Demdum. On reaching there, he learnt that the main gang had gone to a nearby village and only one insurgent named Rabicharan Deb Barma was forcibly collecting money from the villagers. He pursuaded the villagers and gheraoed the house. On being surrounded, the miscreant made three attempts to assault Shri Chakraborty with a sharp edged weapon called 'Takkal' causing minor injuries on his person. He, however, managed to save himself and fired four rounds from his service revolver and immobilized the insurgent. Shri Chakraborty arrested him and seized the sharp cutting weapon.

In this incident, Shri Pradip Chakraborty, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 23rd April, 1985.

No. 77-Press/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri K. S. Bisht,
Deputy Supdt. of Police,
(Company Commander—IRLA No. 1999)
2nd Battalion, CRPF,
(Camp Narsingarh—Tripura)

Shri Dharambir Singh,
Constable No. 801170648,
2nd Battalion, CRPF,
(Camp Narsingarh—Tripura).

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th February, 1985 information was received by Shri K. S. Bisht, Dy. Supdt. of Police that a group of TNV extremists numbering about 12–14 were extorting money from the villagers of Barkathal and were also planning to attack the CRPF camp. Shri Bisht immediately moved with a platoon towards the stipulated place and laid ambush at the escape routes. Thereafter, he alongwith a party consisting of 1 Head Constable, 1 Naik and 2 Constables (including Constable Dharambir Singh), went inside the main compound of suspected houses in search of extremists and posted Constable Dharambir Singh at the entrance gate of the main compound. Suddenly they were fired upon by the extremists. The extremists pumped bullets on the party from automatic/semi-automatic weapons in the darkness. Meanwhile Shri Dharambir Singh, on seeing some extremists fleeing, alerted Shri Bist and opened fire at the extremists. Shri Bisht and Shri Dharambir Singh advanced further by crawling towards the extremists and found a dead body of a TNV extremist with a loaded .303 rifle and ammunition. Despite continuous firing and danger, Shri Bisht did not relent and continued the operation against the extremists. The killed extremist was later identified as Ram Manik Malsum of village Kakrachera. Two more extremists sustained bullet injuries in the encounter.

In this encounter, Shri K. S. Bisht, Deputy Supdt. of Police and Shri Dharambir Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th February, 1985.

No. 78-Pres/86.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri Daya Ram, (Posthumous)
Constable No. 751290011,
37th Battalion,
C. R. P. F.

Shri Shiv Ram,
Constable No. 720540052,
37th Battalion,
C. R. P. F.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 5th April, 1985, two sections consisting of 1 Head Constable, 2 Naiks, 1 Lance Naik and 10 Constables under the command of a Sub-Inspector of Local Police, were detailed to conduct operations against armed TNV gang of extremists reportedly moving in Saiker area. The party left in a vehicle and while negotiating a curve it came under heavy fire from the extremists who were lying in ambush. The fire from the extremists was so heavy that a Sub-Inspector and a Head Constable of local Police and four Constables of A/37 Battalion, Central Reserve Police Force were killed in the vehicle itself. The remaining CRPF personnel took position inside the vehicle. Constables Daya Ram and Shiv Ram jumped out of the vehicle. While doing so, Shri Daya Ram got a burst of gun fire in his right arm near shoulder and was seriously injuried; Constable Shiv Ram was also hit in the stomach by a bullet from the extremists and his intestine came out. Despite injuries, they crawled to the right side of road and took position in the broken ground and started neutralising the extremists' fire. With the help of their companions they succeeded in demoralising the extremists, who were compelled to retreat

through the escape route. After foiling the ambush successfully, Constable Daya Ram was removed to Hospital where he succumbed to his injuries.

In this encounter, Shri Daya Ram, Constable and Shri Shiv Ram, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th April, 1985.

No. 79-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for galiantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri Shri Nath Singh,
Naik No. 670231763,
37th Battalion,
C. R. P. F.

Shri Chander Pal,
Constable No. 821290737,
37th Battalion,
C. R. P. F.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 5th April, 1985, two sections consisting of 1 Head Constable, 2 Naiks, 1 Lance Naik and 10 Constables under the command of a Sub-Inspector of local Police were detailed to conduct operation against armed TNV gang of extremists reportedly moving in Saiker area. The party left in a Vehicle and while negotiating a curve it came under heavy fire from the extremists who were lying in ambush. The fire from the extremists was so heavy that a sub-Inspector and a Head Constable of local Police and four Constables of A/37 Bn., Central Reserve Police Force were killed in the vehicle itself. The remaining CRPF personnel took position inside the vehicle. Two Constables Daya Ram and Shiv Ram jumped out of the vehicle and in the process received burst of gun fire. They were seriously injured. Naik Shri Nath Singh started firing with his SLR taking position on the floor of the vehicle through the wire netting made in the prisoner's van. After return of fire from Naik Shri Nath Singh, the extremists stopped firing for a moment and changed their positions. He immediately got up and came out of the vehicle and climbed a nearby hillock alongwith 2" mortar bombs and fired at the extremists but some of the extremists spotted him and fired at him. He sustained a grazing bullet injury on his left arm. Constable Chander Pal's right hand fingers were fractured with the first volley of fire from the extremists but he continued to fire with his left hand, till the extremists fled away.

In this encounter Shri Shri Nath Singh, Naik and Shri Chander Pal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th April, 1985.

K. C. SINGH, Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi-110 003, the 15th September 1986

RESOLUTION

No. I/20017/1/85-OL(A-1).—The Government of India have been pleased to appoint Sarvshri N. Tombi Singh and V. Tulsi Ram, Members of Parliament, as members of the Kendriya Hindi Samiti in place of late Sarvshri Shrikant Verma and B. V. Desai, members of the Samiti, reconstituted under the Department of Official Language Resolution No. I/20017/1/85-OL(A-1) dated 27-6-85.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Government, Administrations of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Controller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KUSUM LATA MITAL, Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 9th September 1986

No. Ref. 4(40)/86.—Government of India has decided to reconstitute the Development Panel for Refractory Industry with the following composition, for a period of 2 years from the date of publication of this Resolution in the Gazette of India :—

Chairman

1. Shri N. Biswas,
Deputy Director General,
Directorate General of Technical Development,
New Delhi.

Members

2. Dr. S. S. Ghose,
M/s. Sunder Consultants,
E-46, Sector I,
Salt Lake City,
Calcutta-700 064.

3. Shri B. V. Appa Rao,
General Manager,
M/s. Bharat Refractories Ltd.,
Bhilai Refractories Plant,
Marauda P.O.
Newai-491 002.

4. Shri B. Ramachandran,
M/s. Metallurgical Engineering,
Consultants (India) Ltd.,
Ranchi-834 002.

5. Dr. A. K. Chatterjee,
Head of the R & D Division,
M/s. Associated Cement Co. Ltd.,
Cement House, 121, Maharshi Karve Road,
Bombay-400 020.

6. Shri D. Ramakrishnan,
M/s. Carborandum Universal Ltd.,
11/12, North Beach Road, Madras.

7. Shri M. H. Dalmia,
M/s. Orissa Cement Ltd.,
4, Scindia House,
New Delhi-110 001.

8. Shri K. P. Jhunjhunwala,
M/s. Orissa Industries Ltd.,
Udit Nagar, Rourkela-769 012.

9. Dr. A. K. Bose,
M/s. Belpahar Refractories Ltd.,
P.O. Belpahar-768 218,
Distt. Sambalpur, Orissa.

10. Shri S. C. Rajgarhia,
Director,
M/s. Orient Cerwool Ltd.,
1011 Ansal Bhavan,
16—Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110 001.

11. Dr. G. Banerjee,
Head of Refractories,
Central Glass and Ceramic Research,
Institute, P.O. Jadavpur University,
Calcutta.

Members

12. Shri R. D. Naik,
Superintendent Mineral Economist,
Indian Bureau of Mines,
New Secretariat Building,
Nagpur-440 001.

13. Representative of Department of Industrial Development (CGI Section).

14. Shri S. K. Chakraborty,
Director, DC (SSI),
Nirman Bhavan,
New Delhi.

15. Shri O.P. Sandhir,
Project Co-ordinator (Refractories),
Steel Authority of India Ltd.,
Research and Development Centre,
for Iron and Steel,
P.O. Hinoo Doranda,
Ranchi-834 002.

16. Dr. G. N. Mohanty,
Chief Expert,
Steel Authority of India,
Ispat Bhavan, Lodi Road,
New Delhi-110 003.

17. Shri N. C. Mukherjee,
Chairman-cum-Managing Director,
Bharat Refractories Ltd., P. B. No. 1,
Bokaro Steel City-827 001.

18. Dr. N. R. Sircar,
General Manager (Tech.),
Bharat Refractories Ltd., P. B. No. 1,
Bokaro Steel City-827 001.

19. Shri P. K. Tikku,
Director (Operations),
Cement Corporation of India,
Shakuntla Apartments,
59, Nehru Place,
New Delhi-110 019.

20. Shri S. Ray,
Chairman,
Indian Refractory Makers Association,
Royal Exchange,
6, Netaji Subhash Road,
Calcutta-700 001.

Member-Secretary

21. Shri L. T. P. Sinha,
Development Officer,
Directorate General of Technical Development,
New Delhi-110 011.

Terms of Reference :—

(i) To consider the present stage of development of the Refractory Industry and to recommend measures for its accelerated growth.

(ii) To study the Statewise/regionwise requirement of various items of Refractory and make suggestion for creation of further capacities to meet the growing needs.

(iii) Forecasting of future technological needs including upgradation of technology and quality of products.

(iv) To augment research and development facilities in the field available in various Institutions.

(v) To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programmes for further standardisation in consultation with the Indian Standard Institution.

(vi) To consider the requirements of machinery etc. both indigenous and imported.

(vii) To consider the requirements of raw materials and energy inputs including their conservation/substitution.

(viii) Modernisation of existing units.

(ix) Import substitution/export promotion.

(x) Technical manpower requirements and their training.

(xi) Any other relevant matter.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 24th July 1986

RESOLUTION

No. N-110 13/21/85-CWS.—There are around 20,000 labour co-operative societies including forest labour co-operatives with a membership of nearly 11 lakhs. The value of works executed by them during 1983-84 is estimated at Rs. 205 crores. There is large potential for the expansion and strengthening of such cooperatives for improving employment opportunities, protecting and promoting the interests of tribals, and other weaker sections, and suitable policies, and financial and administrative measures have to be evolved to support the programme of cooperatives for tribals and labour. The Government of India, therefore, have decided to constitute a National Advisory Council on Labour Cooperatives for a period of two years. The composition of the Council shall be as follows :

Chairman

1. Union Minister for Agriculture.

Vice-Chairman

2. Union Minister of State for Agriculture.

Members

3. Minister for Cooperation, Gujarat.

4. Minister for Forest, Madhya Pradesh.

5. Minister for Forest, Uttar Pradesh.

6. Minister for Labour, Bihar.

7. Minister for PWD, Kerala.

8. Minister for Labour, Tamil Nadu.

9. Minister Incharge of Cooperation, Orissa.

10. Chairman, National Federation of Labour Cooperatives, New Delhi.

11. Chairman, Haryana State Labour Cooperative Federation, Chandigarh.

12. President, Maharashtra State Forest Cooperative Federation, Digrees Post, Yeotmal District (Maharashtra).

13. President, National Cooperative Housing Federation, New Delhi.

14. President, Railway Labour Contract Cooperative Society Ltd., 14-Cocharine Basin Road, Basin Bridge, Madras-600 021.

15. Adviser (Agriculture & Rural Development), Planning Commission.

16. Adviser (Industrial Relations), Railway Board.

17. Inspector General of Forests, Department of Forests & Wild Life.

18. Director-General of Works, Central Public Works Department, Ministry of Urban Development.

19. Secretary, Department of Rural Development.

20. Secretary, Department of Shipping & Transport.

21. Secretary, Ministry of Labour.

22. Additional Secretary, Department of Agriculture & Cooperation.

23. Joint Secretary, Tribal Development, Department of Social Welfare.

24. Secretary, Labour, Government of Karnataka.

25. Secretary, PWD, Government of Punjab.

26. Secretary, Cooperation, West Bengal.

27. Secretary, PWD, Rajasthan.

28. Managing Director National Cooperative Development Corporation.

29. Secretary, North Eastern Council, Shillong.

30. Managing Director, Girijan Cooperative Development Corporation, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh.

Member-Secretary

31. Chief Director (Cooperation), Department of Agriculture & Cooperation.

2. The terms of reference of the Council are :—

(i) to review the progress of the working of labour cooperatives;

(ii) to suggest measures for enlisting active participation of workers in the programme and promoting initiative and leadership among them;

(iii) to suggest guidelines for reservation of skilled and unskilled works by work-awarding agencies in favour of cooperatives;

(iv) to advise on policy, administrative, financial and technical support to labour cooperatives;

(v) to advise on the formulation of programme relating to labour cooperatives and arrangements for skill development of the members of these cooperatives; and

(vi) to advise on such other measures as are relevant to the terms of reference of the Council.

2. The Council may, whenever considered necessary, appoint committees to deal with different aspects of the programme of labour cooperatives. Such committees may co-opt, for specific purposes, persons having expert knowledge of the related problems or having appropriate field experience.

4. No TA/DA will be paid to the Government representatives and other members representing various cooperative interest. The organisations which they represent, would meet the cost of TA/DA etc. Persons not representing any organisation and requested to attend the meetings of the Council and its Committees, will be paid TA/DA admissible to Grade-I Officers of the Government of India.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazettee of India for general information.

K. N. ARDHANAREESWARAN, Addl. Secy.

New Delhi, the 17th Sept 1986

RESOLUTION

No. 1-29/86-MY(Admn.).—Whereas a Management Committee was set up for the Farm Machinery Training and Testing Institutes vide this Department's Resolution No. 1-18/85-MY(Admn.) dated 21-6-85.

And whereas Financial Adviser was also made as one of the Members of the said Management Committee.

It has now been decided that Director (Internal Finance) would be representing Finance Division on the said Management Committee as Member vice Financial Adviser with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all State Governments/Union Territories, all Ministries/Departments of Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariate, the Presidents' Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General Central Revenues, the Indian Council of Agricultural Research.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general Information.

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 8th September 1986

N. F.10-3/86-U-5.—Under Rules 3 and 6 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, Prof. V. S. D'Souza, National Fellow, ICSSR is nominated by the Government of India as Member of the Indian Council of Social Science Research, for the period ending 31st March, 1989.

S. K. SENGUPTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986